

परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति

SSO-II

प्रपक.

एसओएसो टोलिया,
सायुक्ता राविय,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे.

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र गरेन्द्रनगर में विभिन्न 05 कार्यों हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र 040, लोक निर्माण विभाग, टिहरी गढ़वाल द्वारा विभिन्न 05 कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के कार्यों के आगमनों, जिनकी लम्बाई 2300 किमी० तथा कुल लागत ₹ 230.12 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 230.12 लाख (रु० दो करोड़ तीस लाख बारह हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् 05 कार्यों हेतु ₹ 0.50 लाख (रु० पचास हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा सगरत प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरांत शासनादेश सं०-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगमन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उताना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में कमी हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगमन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रकृति दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगमन में जिन मदों हेतु की राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोबयोरान्ट रुल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगमन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगमन में एन०पी०वी० भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में क्यावश्यक व्यय अनुदान सं० 22 लेखाशीर्षक 5054 राइकों तथा संतुओं पर पूजीगत परियोजना-04 जिला तथा अन्य राइकों-337-राइक निर्माण कार्य-04-राइक/भवन/संतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00-24 गृह निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययों में प्राविष्टावित तथा निर्वर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिरासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में आय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का ध्यय 31-03-2019 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका ध्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) इस संबंध में होने वाला ध्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखाशीर्षक-5054 राडकों तथा शेतुओं पर पूंजीगत परियोजना-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य रोडर-0302 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे आला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 274/XXVII(2)/2019 दिनांक 07 जनवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(एस०एस० टेलिया)
संगुक्त सचिव

संख्या- / 111(2)/19-11(एम०एल०ए०)/2017टी०सी० तदुद्दिष्टित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओमराय मोटर्स बिल्डिंग, गाजरा देहरादून।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, टिहरी।
4. मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय कार्यालय, टिहरी गढ़वाल।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आठवों वृत्त, लोक निर्माण विभाग, टिहरी।
9. अधिरासी अभियन्ता, नि०ख०, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कार्यालय
प्रमुख अभियन्ता एवं निष्पादक
लो.नि.वि. उत्तराखण्ड

(जीवन सिंह)
उप सचिव।

प्र.सं-60/20 प्रता० क्र./19 देहरादून दि०-11-1-19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित :-

- ① मुख्य अभि० स्० का० लो० नि० वि० टिहरी।
 - ② अजीरात अभि० ०४ का० वृत्त लो० नि० वि० टिहरी।
 - ③ अधिरासी अभि० नि० स्० लो० नि० वि० नरेन्द्रनगर।
 - ④ अधिरासी अभि० आई० टी० सैल वि० गाजरा देहरादून।
 - ⑤ कनिष्ठ अभि० (घा०) / वज्राट वर्ग वि० गाजरा देहरादून।
- दि० 11/1/19
परिष्कृत एवं निष्पादक
लो.नि.वि. उत्तराखण्ड

शासनपत्रदेश संख्या-90 / 111(2)/19-11(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दिनांक 9 जनवरी, 2019 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र.सं	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	विभागीय टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-नरेन्द्रनगर के विकासखण्ड नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत ससमण- कौडियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच.-58) तक जोड़ने हेतु मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5.00	43.08	0.10
2	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-नरेन्द्रनगर के विकासखण्ड नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत कारगिल शहीद स्मृति जगत सिंह मोटर मार्ग का मुख्य मार्ग (एन.एच.-58) से लिंक मार्ग का कार्य। (प्रथम चरण)	3.00	25.83	0.10
3	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-नरेन्द्रनगर में गजा डांडावली मोटर मार्ग से माण्डा टोली मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	6.00	58.80	0.10
4	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-नरेन्द्रनगर के विकासखण्ड नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिलकणी से तल्ली सिलकणी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5.00	43.09	0.10
5	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-नरेन्द्रनगर के विकासखण्ड नरेन्द्रनगर में भरपूर-टौल-बौठ मोटर मार्ग से समदर मोटर मार्ग का नवनिर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	4.00	59.32	0.10
कुल		23.00	230.12	0.50

(कुल ₹ पचास हजार मात्र)

(जीवन् सिंह)
उप सचिव